न्यायालय कलेक्टर(शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण क्रमांक 32/बी–121/2014–15

: आदेश ::

(आज दिनांक 15/05/2015 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोण्डवा के माध्यम से तहसीलदार सोण्डवा का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 14.04.2015 को घटनास्थल ग्राम दुधवी तहसील सोण्डवा मे सड़क दुर्घटना होने से रवीता पति विकेश जाति भीलाला निवासी ग्राम खेरवाडा तहसील सोण्डवा गंभीर रूप से घायल होने पर डाक्टरी रिपोर्ट के आधार पर आर्थिक अनुदान राशि रूपये 7,500/– (सात हजार पॉच सौ रूपये) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार सोण्डवा के अभिमत से सहमत होकर घायल रवीता पति विकेश जाति भीलाला निवासी ग्राम खेरवाडा तहसील सोण्डवा को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/ एफ–20–21/2012/1/4 भोपाल, दिनाक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार गंभीर रूप से घायल होने पर आर्थिक अनुदान सहायता राशि रूपये 7,500/– (सात हजार पॉच सौ) स्वीकृत किये जाते है।

उक्त व्यय मांग संख्या 02–लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम –800–अन्य व्यय– (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता –42 सहायता अनुदान –007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ0क/937/रीडर/2015 — अलीराजपुर दिनांक 15/5/15

प्रतिलिपि:–

1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर
3 प्रभारी अधिकारी (वित्त–2) जिला अलीराजपुर ।
4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोण्डवा
5 तहसीलदार तहसील सोण्डवा ।
6 संबंधित रवीता पति विकेश जाति भीलाला निवासी ग्राम खेरवाडा तहसील सोण्डवा जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर